>

Title: Need to include 'Jat' community of Bharatpur and Dholpur districts of Rajasthan in the list of other Backward Classes.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): नियम 377 के माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किये जा रहे पक्षपात रवैया की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के अलावा पूरे राजस्थान के जाट वर्ग को अन्य पिछड़े वर्ग केन्द्रीय सूची में वर्ष 1999 में शामिल किया गया था परंतु राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग को अभी तक अन्य केंद्रीय सूची पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया है जबकि भरतपुर एवं धौलपुर के जाट वर्ग आज कई दृष्टियों से पिछड़े हैं न जाने किस आधार पर राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को वंचित किया हुआ है । मैंने कई बार सदन में प्रश्न किए परंतु सरकार ने इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है अपने प्रश्नों में भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं करने के कारणों को जानना चाहा परंतु कारणों को आज तक नहीं बताया गया है केवल इसके नोटिफिकेशन एवं इसकी तारीख की जानकारी देकर मुझे इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है । 1997 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने अपनी सिफारिशों में इन जाटों के बारे में बताया होगा एवं किस तरह से यहां के जाट अन्य जाटों से पिछड़े नहीं है । इस संबंध में कोई सर्वे करवाया गया है जिससे भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली गई । धौलपुर एवं भरतपुर के जाटों को पिछड़े वर्ग आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाटों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जो सिफारिशों दी हैं वे क्या हैं? मेरा निवेदन है कि विशेष नोटिफिकेशन के तहत भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को अन्य पिछड़े वर्ग केन्द्रीय सूची में शामिल किया जाए।